राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर

क्रमांक:प.7 (106) चि.शि.नि./एकेड–2/फार्मा/2017 दिनांक:– 8/8/18

1. सचिव,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्,
नेल्सन मंडेला मार्ग,
पाकेट–10, सेक्टर–बी
वसंत कुंज,
नई दिल्ली 110070

2. रजिस्ट्रार कम सेकेट्री,
फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,
कम्बाइण्ड काउन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड,
आईवब–ई–गालिब मार्ग, नई दिल्ली।

विषय:– शैक्षणिक प्रवेश वर्ष 2019 में 60 सीट की वार्षिक प्रवेश क्षमता हेतु डी0 फार्मेसी पाठयक्रम संचालित करने हेतु संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत।

महोदय,

निम्न निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले फार्मेसी संस्थान के लिये उनके सामने अंकित प्रवेश क्षमता एवं पाठयक्रमों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:–

S.No.	Name of Trust / Society	Name of the proposed Institute	Session for which NOC sought	Course	Intake Capacity
1.	भारतीय बालिका शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर	ग्लोबल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सावली बाईपास सर्किल, चन्दपुरा सीकर, राजस्थान	प्रवेश वर्ष 2019–20	डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी0 फार्मा)	60 सीट

संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तो के अधीन जारी किया जाता है:–

1. ट्रस्ट/संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम तथा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों की शब्दाश: पालना करनी होगी।
2. पाठयक्रमों में प्रवेश राज्य द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रकिया द्वारा किया जावेगा एवं राज्य की नीति के अनुसार आरक्षण की पालना करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में संस्थान को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी तथा प्रथम वर्ष की कक्षाऐं चलाने के लिये भवन उपलब्ध होना आवश्यक हैं।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्थान/सोसायटी/ट्रस्ट बाध्य होगी।
5. संस्थान को परिषद द्वारा स्वीकृत पाठयक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना होगा।

6. संस्थान स्थापना में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमति पत्र वापिस लेने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
7. संस्थान में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी। संबंधित विश्वविद्यालय से इस अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इस संस्थान के लिए प्रवेश प्रकिया आरंभ की जा सकेगी।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उपरोक्त संस्थान को देय नही होगा।
9. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा सरकार के तथ्यात्मक सूचना चाहने पर राज्य सरकार की निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण समिति को वांछित समस्त सुविधाऐं प्रदान करने की संस्थान की जिम्मेदारी होगी। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के अधार पर राज्य सरकार अपनी अभिषंशा परिषद को भिजवायेगी।
10. सम्पूर्ण योजना की अनुमानित व्यय को 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में किये जाने की आर्थिक सक्षमता होना आवश्यक है।
11. परिषद द्वारा स्वीकृत पाठयक्रमों के लिये संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के संबंध में एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्थान द्वारा राज्य सरकार को अवगत कराना आवश्यक होगा।
12. संस्थान को निजी क्षेत्र में फार्मेसी कॉलेज़ स्थापित किये जाने हेतु दिशा निर्देश के संबंध में चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.5 (7)एमई/ग्रुप--1/2016 दिनांक 15.03.2017 के अनुसार दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी।

भवदीय

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

कमांकःप.7 (106) चि.शि.नि./एकेड–2/फार्मा/2017 दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षणिक) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. उप निदेशक (एके0) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
7. सचिव, भारतीय बालिका शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर, राजस्थान ईमेल– ramswaroop19865@gmail.com mcranwa@gmail.com.
8. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायकशासन सचिव